संख्या-260/सत्तर-3-2026-1975038

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **कुलपति,**
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0, प्रयागराज।

3. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 02 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2026

विषयः- **प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों व स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के सम्वन्ध में।**

महोदय,

अवगत कराना है कि उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों व स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों द्वारा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षण कार्य में अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं रचनात्मक योगदान दिया जाता है किन्तु उन्हें चिकित्सा प्रतिपूर्ति की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके कारण उक्त शिक्षकों द्वारा अपने एवं आश्रितों की चिकित्सा की समुचित व्यवस्था कर पाना संभव नहीं हो पाता है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर उक्त वर्णित शिक्षकों द्वारा किये जा रहे शिक्षण कार्य के दृष्टिगत उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु शिक्षकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को सरकारी चिकित्सालयों के अलावा निजी चिकित्सालयों में भी उपचार की सुविधा अनुमन्य कराये जाने की मांग शासन से की जाती रही है। अतएव मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 05 सितम्बर, 2025 को शिक्षक दिवस के अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग के कतिपय शिक्षकों इत्यादि को कैशलेस सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में घोषणा की गयी है।

2- उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों व स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं राज्य विश्वविद्यालयों में

कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त शिक्षकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को सरकारी चिकित्सालयों के अलावा निजी चिकित्सालयों में भी कैशलेस सुविधा की अनुमन्यता निम्नवत प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत उक्त शिक्षकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस सुविधा अनुमन्य कराये जाने हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वास्तविक व्यय-भार के दृष्टिगत प्रीमियम आदि के निर्धारण की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।

(2) उक्त कैशलेस उपचार सुविधा योजना का क्रियान्वयन स्टेट एजेंसी फार कम्प्रेहेन्सिव हेल्थ एण्ड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (SACHIS) के माध्यम से की जायेगी । उक्त सुविधा राजकीय चिकित्सालयों तथा साचीज के साथ सम्बद्ध निजी चिकित्सालयों में अनुमन्य होगी, जिसकी दरें वही होंगी, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA) द्वारा समय-समय पर संसूचित की जायेगी।

(3) उक्त कैशलेस उपचार सुविधा के अन्तर्गत प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों व स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त शिक्षकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्य लाभार्थी होंगे।

(4) उक्त लाभार्थियों एवं उनके आश्रित परिवारों का पूर्ण विवरण/डाटा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नामित नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष 30 जून तक कैशलेस चिकित्सा योजना सुविधा हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, स्टेट एजेंसी फार कम्प्रेहेन्सिव हेल्थ एण्ड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (SACHIS) को उपलब्ध कराया जायेगा ताकि पात्र लाभार्थियों एवं परिवारों को इसका लाभ दिये जाने हेतु कैशलेस चिकित्सा योजना में उन्हें सम्मिलित अथवा विलोपित करते हुए कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ दिया जा सके।

(5) उपरोक्त लोगों में से पूर्व से केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित किसी अन्य स्वास्थ्य योजना (यथा-प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना/मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान आदि) से आच्छादित हैं, उन्हें इस योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

3- कृपया उपर्युक्तानुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally Signed by
GIRIJESH KUMAR TYAGI
Date: 01-04-2026
19:24:21

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।